



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

अवमानना अपील संख्या - 4/2026

मुश्ताक

.....अपीलकर्ता

बनाम

अमीना और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता

: मनोज कुमार गुप्ता,

चंद्र किशोर

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता को सुना।
2. यह अवमानना अपील डिजिटल माध्यम से दायर की गई है। हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को अपील मेमो की दो प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिन्हें अभिलेख में लिया गया।
3. प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
4. अवमानना न्यायालय ने दिनांक 13.02.2026 को एक आदेश पारित किया है, जो इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में लिया गया।

यह अवमानना आवेदन अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला संख्या 1342/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के कथित गैर-अनुपालन के विरुद्ध दायर किया गया है, प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत हैं:

"7. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खड़ी फसलों की कटाई की जा सकती है।

8. याचिका का निस्तारण उपरोक्त के अनुसार किया जाता है।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.03.2025 के आदेश के पारित होने के समय आवेदक की गेहूं की फसल बोई जा चुकी थी और उसने कटाई कर ली थी, जिसके बाद उसने धान की फसल बोई, जिसे प्रतिवादियों ने काटने से रोक दिया। अतः प्रतिवादी रिट याचिका में पारित आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और वे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय हैं।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका में दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदक केवल खड़ी फसल की ही कटाई कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि आवेदक का भी यह स्वीकृत मामला है कि वह रिट याचिका में आदेश पारित होने के समय खड़ी गेहूं की फसल की कटाई कर रहा था और यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने आवेदक द्वारा बाद में बोई गई धान की फसल की कटाई को रोक दिया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अनुपालन हलफनामे में प्रतिवादियों ने हलफनामे पर अभिकथन किए हैं। कि उन्होंने विवादित भूमि में कभी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हस्तक्षेप नहीं किया था और वे भविष्य में भी आवेदक के कब्जे वाली विवादित भूमि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और मामले के अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन करने में विफल रहे हैं कि आवेदक को खड़ी फसल काटने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने काट लिया था, और रिट याचिका में पारित आदेश में किसी भी बाद की फसल की बुवाई का प्रावधान नहीं था, और बाद की धान की फसल की बुवाई स्वयं आवेदक द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश का उल्लंघन है।

अनुलग्नक संख्या 2, अर्थात् आवेदक द्वारा तहसीलदार को दिए गए अभ्यावेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के विरुद्ध जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई शुरू करने के लिए गलत तथ्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20.03.2025 के आदेश को संशोधित किया गया है, जबकि इसे कभी संशोधित नहीं किया गया है और दिनांक 20.03.2025 के आदेश द्वारा दिनांक 30.11.2024 के आदेश को संशोधित किया गया है। इस प्रकार उन्होंने झूठा अभ्यावेदन किया और स्वयं अवमानना करते हुए इस न्यायालय में याचिका दायर की।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह अवमानना याचिका योग्यताहीन है, इसलिए इसे 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। आवेदक को एक माह के भीतर विधि सहायता प्राधिकरण के पास राशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक से भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करें, क्योंकि आवेदक ने तथ्यों को गुमराह करके और अधिकारियों के समक्ष झूठा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिनिधित्व करके इस न्यायालय का रुख किया है, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

5. प्रारम्भिक चरण में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.02.2026 के आदेश की अवैधता के बारे में पूछे जाने पर, श्री गुप्ता ने कहा कि अपीलकर्ता ने अवमानना याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि वह अनपढ़ होने के कारण माननीय अवमानना न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समझ नहीं सका। इसलिए, 25,000/- रुपये का जुर्माना माफ किया जाए।

6. चूंकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई खामी या अवैधता नहीं बताई गई है, इसलिए अवमानना न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, हम एतद्वारा जुर्माने की राशि को संशोधित करते हैं। अवमानना न्यायालय द्वारा लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने को घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। अपीलकर्ता को उक्त राशि आज से एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।

7. उपरोक्त शर्तों के मद्देनजर, इस अवमानना अपील का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जाता है।

23 मार्च, 2026

सुरेश/

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान,)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।